



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 507 राँची, शुक्रवार,

25 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

15 जून, 2023

संख्या-16/नि०-03/2013- 2700-भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल "झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (अधिसूचना संख्या-1642, दिनांक-17.03.2016) (यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

- यह नियमावली "झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2023" कहलाएगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।
- यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) के नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है:-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- "केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

जिसे निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है-

"शैक्षणिक योग्यता:- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री ।"

3. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (अधिसूचना संख्या-1642, दिनांक-17.03.2016) (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

4. विभागीय संलेख जापांक-2205, दिनांक-22.05.2023 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-31.05.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(तदाशा मिश्र),

सरकार के विशेष सचिव ।
